



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-199 राँची, बुधवार, 26 फाल्गुन, 1942 (श०)
17 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

12 मार्च, 2021

संख्या-5/आरोप-1-650/2014-2389 (HRMS)-- श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-732/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा के विरुद्ध उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-2004/गो0, दिनांक 07.11.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

“श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर दिनांक 10.01.2011 से 04.09.2013 तक पदस्थापित थे।

गोपनीय शाखा, लोहरदगा के पत्रांक-1482/गो0, दिनांक 24.09.2013 द्वारा श्री वर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-मंडल कारा अधीक्षक, लोहरदगा द्वारा आदेश उल्लंघन का प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिला में अधीक्षक, मंडल कारा पद रिक्त है एवं कारा विभाग के द्वारा किसी पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं होने के कारण श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा को आदेश ज्ञापांक-504(ii)/स्था0, दिनांक 29.11.2012 द्वारा अधीक्षक, मंडल कारा का प्रभार लेने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश में श्री वर्मा को स्पष्ट हिदायत भी दी गयी थी कि अपने स्तर से प्रत्येक सप्ताह मंडल कारा, लोहरदगा का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। साथ ही, प्रत्येक दिन

रात्रि 8.00 बजे से 9.00 बजे के मध्य मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करायेंगे, लेकिन इनके द्वारा जेल का प्रभार तो लिया गया, परन्तु दिये गये हिदायत पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया।

अपचारी पदाधिकारी प्रतिदिन संध्या कार्यालय अवधि के बीच 4.30 बजे लोहरदगा-राँची ट्रेन से राँची निकल जाया करते थे। फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारी द्वारा आदेश का कभी भी अनुपालन नहीं किया गया।

इनके प्रभार में रहते हुए मंडल कारा में दो-दो बार छापामारी की गई और कैदियों के पास से अवांछित सामग्रियाँ यथा- राशि एवं मोबाईल जब्त की गई। इन्हें उपायुक्त के पत्रांक-1284/गो0, दिनांक 05.12.2012 के द्वारा सावधान भी किया गया था कि वर्तमान परिस्थिति में जेल प्रशासन को अतिसतर्क रहने की आवश्यकता है, फिर भी इनके द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए जेल में हो रही गतिविधियों को नजरअंदाज किया गया। प्रभारी अधीक्षक होने के हैसियत से जेल में हो रही गतिविधियों का निरीक्षण करना इनका प्राथमिक कर्तव्य था, जिसे इनके द्वारा जान-बूझकर नजरअंदाज किया गया।

मंडल कारा, लोहरदगा में दिनांक 06.07.2013 एवं 16.07.2013 को दो तिथियों में छापामारी करायी गई और अवांछित सामग्री प्राप्ति की सूचना भी दी गई। फिर भी इनके द्वारा जेल में हो रही कार्यकलाप पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। इनका व्यक्तिगत आचरण एवं कार्यकलाप जेल के प्रति दिये गये उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के कारण संदेहास्पद प्रतीत होता है।

श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम-3(i)(ii) एवं(iii) के प्रतिकूल आचरण है।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-331, दिनांक 11.01.2018 द्वारा श्री वर्मा से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री वर्मा के पत्रांक-1841, दिनांक 07.08.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री वर्मा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

- (i) तत्कालीन उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा पूर्वाग्रह और दुर्भावना से ग्रसित होकर उन्हें तंग करने की नियत से आरोप पत्र का गठन किया गया है।
- (ii) उन्होंने दिनांक 05.07.2013 को उपायुक्त, लोहरदगा से दिनांक 06.07.2013 के लिए एक दिन का आकस्मिक अवकाश और मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति हेतु आवेदन स्वीकृत कराया था।
- (iii) वे जिला कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा के मूल पद पर पदस्थापित थे तथा अन्य पदों यथा- नजारत उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी के प्रभारी पदाधिकारी रहते हुए कारा अधीक्षक के प्रभार का दायित्व कारा हस्तक के नियमानुसार पूरी निष्ठा से कर रहे थे।

श्री वर्मा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9305, दिनांक 21.12.2018 द्वारा उपायुक्त, लोहरदगा से मंतव्य की मांग की गई। उनसे मंतव्य अप्राप्त रहने पर कई स्मार पत्रों द्वारा स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात्, उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-88(i), दिनांक 10.10.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि-

“श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा0प्र0से0, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी-सह- प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा के स्पष्टीकरण में उनके द्वारा उल्लेखित तथ्यों की वास्तविकता एवं सत्यता की जाँच हेतु दिनांक 06.07.2013 एवं 16.07.2013 को मंडल कारा, लोहरदगा में की गयी छापेमारी से संबंधित आगंतुक पंजी की अभिप्रमाणित प्रति कारा अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा से प्राप्त की गई। कारा अधीक्षक, लोहरदगा द्वारा उपलब्ध कराये गये आगंतुक पंजी की अभिप्रमाणित प्रति के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 06.07.2013 एवं 16.07.2013 को छापेमारी के निमित्त किसी दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी का मंडल कारा, लोहरदगा में प्रवेश करने के संबंध में कोई इन्दराज नहीं है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा0प्र0से0, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।”

श्री वर्मा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लोहरदगा से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा0प्र0से0, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SURENDRA KUMAR VERMA BHR/BAS/3477	श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा0प्र0से0, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3282
